संख्या 11013/2/97-स्था0 (क)
भारत-सरकार,
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय,
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर, 1998

कार्यालय-ज्ञापन

विषय :- सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को, विभिन्न एयरलाइन्स द्वारा समय-समय पर चलाई गयी "सहयात्री मुफ्त योजना सेवा के तहत "मुफ्त सहयात्री टिकट" की स्वीकृति के संबंध में स्पष्टीकरण ।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19 अगस्त, 1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें सरकारी कर्मियों को एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स की "वापसी उड़ान योजना" के अंतर्गत उनके द्वारा अर्जित मुफ्त यात्रा टिकट स्वीकारने पर कोई आपत्ति न होने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया था । विदेशी एयरलाइन्स सहित अन्य एयरलाइन्स के "फ्रिक्वेंट फ्लायर (अक्सर हवाई यात्रा करने वाले)/फ्लाईंग रिटर्न (वापसी उड़ान) कार्यक्रमों" में इस प्रकार की अनुमति हेतु संदर्भ प्राप्त हुए हैं ।

2. इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मियों द्वारा ऐसे "फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम" अथवा अन्य एयरलाइन्स के "फ्लाईंग रिटर्न कार्यक्रमों" का लाभ लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी । जहाँ तक "मुफ्त सहयात्री योजना" का संबंध है यह सुविधा केवल राष्ट्रीय उड़ानों तक ही सीमित रहेगी ।

शाश्वती बन्द्योपाध्याय,
(श्रीमती शाश्वती बन्धोपाध्याय)
निदेशक (ई-।।)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित : संघ लोक सेवा आयोग/भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।

प्रति :

1. सचिव, लोक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके 14.05.1997 के पत्र संख्या 15(8)/93-डी पी ई के संदर्भ में ।
2. संयुक्त सचिव (कार्मिक) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
3. प्रबंध निदेशक, एयर इण्डिया ।
4. प्रबंध निदेशक, इण्डियन एयरलाइंस ।